

किन्तु कृषि वृद्धि कार्य आदि एक Reg. Ad. के तलबाने पेश नहीं किए गये थे। साथ प्रतिक्रिया नं. 2(4) व 3 का 2 दि. एडी. अधिनियम/कानून पता होने के पुरा लॉकर भाई के जो संलग्न फावली है। अतः अब वहील वाडी को महीला प्रती पते के तलबाने Reg. Ad. के पेश करने हेतु एक अलग रिपोर्ट लिखा जा रहा है। फावली वाले Reg. Ad. प्रवि. नं. 2(4) लगातार 2(4), 3, 4 व 5 के दिनांक 28.11.2025 को पेश थे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

28.11.2025 फावली पेश। वहील वाडी उपखण्ड

प्रतिक्रिया नं. 5, 6 व 7 की धुके में शामिल हो चुकी है। वाक्यूम सूचना के उपलब्ध रहे से इनके विषय एकपक्षीय वापसी बमल में लाई जाती है। तथा वहील वाडी साथ पूर्व अधिसूचना दिनांक 12.11.2025 की पाठना नहीं की गई है। अब Reg. Ad. के तलबाने पेश कले हेतु अतिरिक्त अलग रिपोर्ट लिखा जाता है। पेश नहीं कले पर वाड वाडी अपालना से खास्य कर लिखा जायेगा। फावली वाले अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 5/12/25 को पेश थे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

5/12/25 फावली पेश। वहील वाडी उपखण्ड प्रयोग 340। वहील वाडी साथ प्रवि. नं. 2(1) लगातार 2(4), 3, 4 व 5 के अधिनियम/कानून के तलबाने पेश कले हेतु एक अतिरिक्त अलग रिपोर्ट लिखा गया। फावली वाले अधिसूचना दिनांक 19.01.2026 को पेश थे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

19.1.2026 फावली पेश। वहील वाडी उपखण्ड प्रयोग 340। वहील वाडी साथ पूर्व अधिसूचना दिनांक 12.11.25, 28.11.25 एवं 5/12/25 की पाठना नहीं की गई है। वहील वाडी साथ एसी के दोष

प्रतिनिधित्व संख्या २५) लगायत २५) त्र ३, ५, ७ के
 Reg. Ad के लिये ठीक वक्कर प्रदान करने के पश्चात्
 भी पैसा नहीं छिपे गये हैं। मिलके प्रतीत होता है कि
 लगी वाड के बाने पत्तों के इच्छुक नहीं हैं। अतः
 वाड लगी अपालना से स्वर्जित किया जा रहा है।
 फणवली कौलल शुमार लेकर वाड लकील नम्बर
 से कम कर दाखिल इफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
 मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)